हमने पाकिस्तान के साथ भारत-पाक संयुक्त आयोग के बारे में भी बातचीत की, उस पर हस्ताक्षर हुए, परन्तु मेरा सोचना ऐसा है कि पाकिस्तान दोहरी चाल रखता है एक ओर तो वह हमारे संयुक्त आयोग पर हस्ताक्षर करता है और उसी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में शिमला समझौते की अवहेलना कर के उसने जम्मू-काश्मीर का मामला उठाया । बस, इससे ही वह चुप नहीं हो गया, बल्कि डेनमार्क रेडियो पर जनरल जिया ने जो वक्तव्य दिया, उसमें भी उन्होंने काश्मीर के मामले को फिर से उठाया ।

इसलिये केवल यह उनके कहने की ही बात नहीं है । पाकिस्तान वाले कह ही नहीं रहे हैं, परन्तु व्यवहार भी उनका यह बताता है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं, उन पर प्रश्न-चिन्ह लगा हुआ है ।

अखबारों में हम देखते हैं कि पाक अधिकृत काश्मीर में काफी सेनी का जमाव होता जा रहा है और अमेरिका द्वारा दिये गये आणविक अस्त्रों का भी वहां जमाव हो रहा है । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने रक्षा बजट को दुगना कर दिया है । नीलम घाटी पर सड़क का निर्माण किया है ।

'संडे टाइम्स' में खबर छपी थी कि अमेरीकन यह मानते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक पाकिस्तान में वह ताकत होगी कि वह दुनिया के किसी भी देश को उड़ा सकता है ।

MR. CHAIRMAN: You may continue next time when the debate starts.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट के अन्डर लाइसेन्सों पर फोटो लगाने की आज अंतिम तारीख है । दिल्ली में 6 लाख लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जिनमें 16 हजार लोगों के लाइसेन्सों पर फोटो लगाकर स्टैम्प लगाई गई है । कल से गाड़ियों को लाइसेन्स पर फोटो न लगा होने के कारण पकड़ना शुरु हो जायेगा । पूरे पैमाने पर देश में यह कानून लागू है । मेरा कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह कहा जाये कि वह कम-से-कम इसकी तारीख आगे जरुर बढ़ा दे ।

एक माननीय सदस्य: यह सैकिंड जीरो अवर है?

श्री राजेश कुमार सिंह: आप सैकिंड जीरो अवर की बात कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है, वहां 50,000 लोगों की भीड लगी हुई है ।

MR. CHAIRMAN: I have got your point. Kindly listen to me. If I may point out to you, for this type of requirement, you have to give a notice. Kindly stick to rules.

SHRI RAJESH KUMAR SINGH: I am not violating any rules.

कल से लोग पकड़े जायेंगे और झगड़े होंगे । नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित हैं ।

MR. CHAIRMAN: You should be worried about the rules. That is not fair. Let us continue with the business of the House.

15.35 hrs.

RESOLUTION *RE.* 'RIGHT TO WORK' AS A FUNDAMENTAL RIGHT—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further discussion on the Resolution moved by Shri Chandulal Chandrakar.

Shri Chandra Pal Shailani to continue his speech.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): माननीय सभापति महोदय, मैं उस दिन कह रहा था कि हमारे देश में बेरोजगारी की एक विकट समस्या है । आज करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित हैं ।

MR. CHAIRMAN: Just a minute. The present position in regard to this Resolution is something like this. Only half an hour is left. There are about 11 members or more to speak. So, I have to ask the House whether you would like to extend the time for this Resolution?

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): This is a very important Resolution. The time should be extended.

MR. CHAIRMAN: Already, the time has been extended once. If we again want to extent the time, let us be a little bit reasonable. I would

like to recommend not to exceed one hour. So, instead of half an hour, we will have one hour.

I would request the members to be brief and to make pertinent points only.

श्री चन्द्रपाल शैलानी: मैं निवेदन कर रहा था कि देश के सामने बेरोजगारी की एक विकट समस्या है और करोड़ों की तादाद में पढ़े-लिखे और अनपढ नवयुवक और नवयुवतियां बेरोजगारी से पीड़ित हैं । एक मोटे से सरवे के अनुसार इस वक्त दो करोड़ के करीब लड़के-लड़कियों के नाम रोजगार-दफतरों में दर्ज हैं और उन्हें अरसे से कोई रोजगार नहीं मिला है । इससे भी ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है, जो तरह तरह की कठिनाइयों के कारण अपने नाम रोजगार-दफतरों में दर्ज नहीं करा पाते हैं । आजादी के 35 साल के बाद भी जब एक ग्रैजुएट, एम ए या पी एच डी को रिक्शा खींचते हुए या चपरासी की नौकरी करते हुए देखते हैं, तो बड़ा तरस आता है। सब से पहले तो हमें इस समस्या की तह में जाना पड़ेगा कि इस देश में इतनी अधिक एजुकेशन के बावजूद अगर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तो उसके क्या कारण है । हमें बड़ी गम्भीरता के साथ इस बात पर मनन करना पड़ेगा कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है ।

हमारे कई साथियों ने कहा है कि एम्पलायमैंट एक्सचेंजों में बहुत भ्रष्टाचार है । बड़े बड़े जमीदारों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के बच्चों को तो नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं होती है । नौकरी करने की जरूरत पड़ती है गरीब परिवार के लोगों को, जिनके मां-बाप अपने खून-पसीने की कमाई से उन्हें शिक्षा दिलाते हैं । जब पैसा न देने के कारण उनके नाम दर्ज नहीं किए जाते हैं और उन्हें काल लेटर नहीं दिए जाते हैं, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है ।

राज्य मंत्री महोदय जो इस समय सदन में मौजूद हैं स्वयं एक शोषित समाज से आते हैं। उनके हृदय में शोषित समाज के लिए प्रेम और हमदर्दी है। ताकि उनका उत्थान हो सके । इस लिए वह कम से कम अपने विभाग में यह व्यवस्था करें कि जब गरीब और खास तौर से कमजोर वर्ग के बच्चे एम्पलायमैंट एक्सचेंज में जाए, तो उनके नाम दर्ज किए जायें और उनके लिए काल लेटर निकाले जाने में धांधली न हो।

बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त हो कर बहुत से नवजवान अपराध जगत में प्रवेश करते हैं । जब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो उनमें से कोई चोर बनता है, कोई डकैत बनता है, कोई राहजनी करता, है, कोई उठाईगीरी करता है और कोई कत्ल करता है । वे भयंकर से भयंकर और गम्भीर अपराध करना शुरू कर देते हैं। जो लोग यह सब नहीं कर पाते और जिनके हृदय कमजोर होते हैं। वे बेरोजगारी के कारण हम आये-दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक क्वालिफाइड व्यक्ति रोजगार न मिलने के कारण आत्म-हत्या करने पर मजबूर हो गया।

जब इन्सान को रोजगार नहीं मिलता है, तो वह भीख मांगने और कई अनैतिक कार्य करने पर मजबूर हो जाता है। "विभिशित" किम् न करोति पापम्" ? भूखा क्या पाप नहीं कर सकता ? पेट भरने के लिए आदमी बड़े से बड़ा पाप करने पर आमादा हो सकता है । आज हमारे देश में अशान्ति, अनुशासनहीनता, निराशा और हताशा का वातावरण बना हुआ है । इसका कारण यही है कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वे जुलूस निकालते हैं, आन्दोलन करते हैं, जिससे माहौल खराब होता है । अगर इस देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाए, तो मेरा विश्वास है कि इस देश में इस तरह की प्रवित्तियां भी समाप्त हो जाएंगी।

अगर हमारे संविधान में काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया जाए, तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा । दुनिया के अनेक देशों में, खास तौर से उन देशों में, जिन्होंने समाजवाद के सिद्धांत को अपना रखा है, काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है । और वहां की सरकारों ने

अपने संविधान में इस तरह का प्रावधान किया है । जैसे रूस है, रूमानिया है, यूगोस्लाविया है, चाइना है, जापान है, बुलगारिया है, इजिप्ट है, जी डी आर है या हंगरी है – इन देशों में नागरिकों को काम देने की गारन्टी दी गई है । हमारे देश ने भी समाजवादी सिद्धान्त को अपनाया है । हमारी लोकप्रिय सरकार यहां पर समाजवाद लाना चाहती है । आधुनिक भारत के निर्माता, पं. जवाहर लाल नेहरू ने समाजवाद के सिद्धान्त को अपनाया था और उन्होंने कहा था कि बिना समाजवाद के रास्ते पर चले हुए, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की असमानतायें हैं । यहां पर ऊंच-नीच की भावना है, छोटे-बड़े का सवाल है, गरीबी-अमीरी का सवाल है, तथा इसी प्रकार की अनेक बातें और भी हैं। जब तक समाजवाद नहीं आएगा, तब तक इस तरह की भावनायें इस देश से दूर नहीं होंगी और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना भी पैदा नहीं होगी । समाजवादी व्यवस्था में आस्था रखने के कारण ही मैं मांग करता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए । इस देश की आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रही है । इनमें अधिकारी वे लोग हैं जोकि शोषित हैं । उनको आज जीवन की आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध नहीं हैं ।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member had taken six minutes previously also. He will please try to conclude. We have to accommodate everybody.

श्री चन्द्रपाल शैलानी: चार मिनट और दे दीजिए ।

मैं यह कह रहा था कि पुरुषों के अलावा महिलायें भी बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं । इसके समाधान के लिए भी सरकार को शीघ्रातिशीघ्र प्रभावी कदम उठाने चाहिए । इसके अलावा छोटी उम्र के बच्चे जिनके मां-बाप नहीं हैं या जिसके मां-बाप बहुत गरीब हैं जोकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते या उनके लिए खाने कपड़े की व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं । आज बहुत सारी फैक्टरीज में उनका शोषण किया जा रहा है।

यदि मैं यह बात भी कह दूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है, तो गलत नहीं होगा । यदि हमने जाब-ओरिएन्टेड शिक्षा अपनाई होती तो आज इतनी बेरोजगारी नहीं होती । बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यक है कि सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दे तथा देहाती क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन दिया जाए । स्कूलों में लड़कियों के लिए सिलाई, कतीई, बुनाई की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि नौकरी के अभाव में वे अपनी गुजर करने लायक तो कर सकें । इसी तरह से पुरुषों के लिए भी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।

हमारी महान नेता एवं प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने इस देश के सामने "श्रमएव जयते" का नारा दिया है । इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी "आराम हराम है" का नारा दिया था । उन्होंने श्रम के महत्व को अच्छी तरह से समझा था । इसीलिए उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि वे चाहे खेत में काम करते हों, कारखाने में काम करते हों या विद्यार्थी हों सभी को श्रम करना चाहिए ताकि यह देश हर तरह से सम्पन्न बन सके । उसी प्रकार से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी "श्रमएव जयते" का नारा दिया है । मैं सारे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वे इस नारे की अहमियत को समझें । श्रमेव-जयते के रास्ते पर चलकर हर इन्सान को चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, श्रम के महत्व को समझाना चाहिए और श्रम करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अंत में, मैं महात्मा तिलक की यह बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । उन्होंने कहा था–**फ्रिडम इज अबर बर्थ राइट** आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । जब आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो सकता है, तो काम का अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्यों नहीं हो सकता है ? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि काम के अधिकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल करें, ताकि इस देश से गरीबी दूर हो, यह देश सर्वसम्पन्न हो सके ।

[श्री चन्द्र पाल शैलानी]

यहां पर जितने नौजवान अपराध करने पर उतारू हैं, अशान्त हैं, उन को रोजगार मिलेगा । इस प्रकार वह देश के लिए देश की जनता के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सोचेगा और काम करेगा । एक दिन वह आएगा जब हम जापान, रूस, अमरीका जैसे सम्पन्न और समृद्ध देशों से भी आगे चलकर अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाकर संसार में गौरव का जीवन व्यतीत कर सकेंगे । वही भारत जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दुनिया को शिक्षा-दीक्षा देता था, वही प्राचीन गौरव भारत को पुनः प्राप्त होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । (इति)

MR. CHAIRMAN: Once again I urge upon the hon. Members to take a ittle less time because there are a large number of hon. Members yet to speak and the time now will not get elongated.

I request now Shri M. Satyanarayan Rao to speak.

15.47 hrs.

(MR. *Speaker in the Chair*)

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): This kind of a resolution is coming for the second time in this hon. House. In the year 1977 when the Janata Party was in power, one of the members of the Janata Party, Shri Yamuna Prasad Shastri, a blind member of this House, brought forward a similar resolution in this august House. The then Law Minister belonging to the Janata Party, Shri Shanti Bhushan advanced his argument against the resolution saying that it was impracticable; that it was not at all practicable to implement the resolution because of the vastness of the country and so many problems confronting the country and also because of the huge amount required to implement it. He estimated it at Rs. 800 croces—if you wan to provide unemployment allowance. That was the ground on which he rejected although he was sympathetic and I think the same argument may be advanced by our hon. Labour Minister here while he intervenes in the debate.

I support this resolution brought by my colleague, Mr. Chandulal Chandrakar. There are two reasons for my supporting it. One is that everybody knows that there is an acute unemployment problem in this country, apart from poverty. To solve this problem the Government will not think it seriously unless it is imposed on it—that is, this responsibility, although it may say, 'We lack resources—financial resources for this purpose. But I say, Sir, if there is a will, there is a way. If the Government is determined, then it can definitely mobilise resources for this purpose.

Unfortunately, in this country, after 35 years of Independence, we are not able to solve many of the problems facing our country and there is acute unemployment not only among the educated but are among the uneducated people also.

The reason is that the kind of education that we are providing in this country is really a purposeless one. During the British period, they had introduced this kind of educational system. We are still continuing that. We have not yet abandoned that. This is responsible for this situation.

We are unnecessarily, without any purpose, producing graduates; every year thousands of people become either matriculates or graduates. In the countryside, if you go, you will find that about 20 to 30 people on an average out of every hundred are educated. Irrespective of whether they are matriculates or graduates, they all seek employment of clerical and other jobs. In this way, no Government can provide employment to all leave alone the Congress (I) Governments or whatever be the party Government which boasts of providing

employment to the people. I say it will fail, definitely.

Recently, Sir, we had elections in the South both in the State of Andhra Pradesh as well as in Karnataka. There the leader of the Telugu Desam Party had given assurance to the people that if only they came to power—he was not hopeful to come to power—he would provide jobs to each and everybody. He said that there would not be any person without a job. This was the kind of assurance he gave before the Election. After he became the Chief Minister of Andhra Pradesh, he is finding it very difficult to implement that assurance. And wherever he goes, he is asked by the people as to what has happened to his promise and what he is doing. It now becomes very difficult for him to implement that. That is why I say it would be very difficult for any party to provide employment to each and everybody unless we change drastically the educational system which was introduced during the Imperialist period.

For that purpose, my request to Government is this. Of course, it is not in the hands of the Labour Minister. But, he may impress upon the Education Minister that we should change drastically the educational system. The education that we provide to our people, the youngsters, should be job-oriented; it should be a technically-oriented one. We also require these youngsters to know something about the technology. In villages also, small technicians are required. We need so many artisans for building houses and for other purposes. We need for example, mechanics etc. But, unfortunately, we are not having sufficient number of these people who are trained for this purpose. If we provide this kind of education, then only I think we would be able to provide them with the employment who can be called self-employed people. That is one aspect.

The other aspect of the thing is this. Last year, I was in Germany. I was told by the people there who were of course, not the admirers of Hitler that they had got beautiful road only because of him. They hated Hitler of course. But, during his period, that kind of development took place. For example, before Hitler came to power Germany had to face unemployment problem like ours. It seems that since he had given the assurance to the people that if he were voted to power. When he would provide employment to each and every body, the people then took the risk and voted him to power.

Afterwards what he had done was this. He said that he would provide employment. But, everybody should do the work whether it be labour oriented job or skilled or unskilled one Like that, he controlled the youths particularly. Unless they were asked to do that sort of work, they would go on speeking only clerical type of work. They would seek to work in offices. But, he controlled them. When he later became the dictator, he forced all the youths for laying roads and for other purposes also. That is why they were saying that there he not only solved the unemployment problem but he developed the infrastructure there. (*Interruptions*)

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): That was due to militarisation.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: In socialist countries, they are doing that. But, this problem can be solved only by this type of education. I do not praise all the methods adopted by Hitler. What I am trying to impress upon the House is that unless we compel the educated youths and others of this country to do this sort of work, we cannot solve this problem. The thing is that they refuse to do that kind of work. On the one hand we say that people are there without work but when you go to villages you will find for agricultural purposes people are not available. The lands remain uncultivated because the youth prefer clerical work and refuse to take up agricultural work.

[Shri M. Satyanarayan Rao]

We find only old generation people are cultivating lands with the result after their deaths who will be there to cultivate the lands. So, it is very necessary that it is made compulsory and this can be done once you include right work as a fundamental right. If this right to work is included in the fundamental chapter then Government will feel the necessity of implementing land reforms. Even after introduction of land reforms policy we know the experience in rural areas. We are not able to implement it properly because of some lacunae in our law. The landlords approach the courts and the courts grant stay with the result land reforms are not implemented. In order to implement land reforms it is very necessary that we should have a legal system in which there are no defects.

Therefore, I say once you include this right to work as a fundamental right then you will be serious in implementing this programme.

Sir, the other thing that I want to impress upon the Government to solve the unemployment problem is that in our country there is lot of irrigation potential which is not being exploited. In the North because of Ganges and Brahmaputra every year there are floods whereas in the South people are suffering because of drough. When Dr. K. L. Rao was the Irrigation Minister he suggested a good scheme about linking of Ganges with Kavari. By linking the rivers from North to South we will be having integration and also lot of irrigation potential will be created because of which we will be able to irrigate lot of land. There is enough land but because of lack of irrigation facilities we could not bring it under cultivation. So, I say serious thought should be given to the scheme proposed by Dr. K. L. Rao. By this we will be able to provide employment to millions of people.

Then, Sir, unless you industrialise—whether small scale, medium or large scale—you will not be able to solve unemployment problem. Sir, the other day our Finance Minister said that for self-employment the banks are prepared to advance loans but in actual practice we have been told by the youth that they approach the banks but the banks create so many hurdles. The banks do not give the loan and the youth get disappointed. Sir, I would like to warn that unless the unemployment problem is solved there will be revolution in our country. We had a bitter experience of it in recent elections in Andhra and Karnataka. It is the youth who brought this revolution. They are very much frustrated. They say for the last 35 years our party has been sitting in the Chair and they have forgotten the youth. Whether it is Congress party or any other party it will not be able to solve this problem but they think since we are in power since Independence we should have been able to solve this problem.

MR. SPEAKER: Please conclude.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO: Sir, I conclude by saying that we should change our education system, create irrigation potential, check population increase and then we will be able to solve unemployment problem. It is unfortunate that since Independence our population has doubled. Thus problem has to be fought on war footing in 1977 Janata Government neglected this aspect. Although they came to power on the solgan of 'nasbandi' yet they are responsible for the present situation. I am happy that now Mr. Jethmalani praises Sanjay Gandhi for his taking innitiative for this. I salute in this matter. I once again request the Government to give serious thought to it and righ to work should be included in he fundamental chapter.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, राइट टू वर्क की जहां तक बात है, वास्तव में यह बहुत ही सुन्दर इस प्रस्ताव

के माध्यम से लाई गई है। मुझे बहुत कम उम्मीद है कि यह सरकार इस प्रस्ताव को मान लेगी या इस पर उचित रूप से ध्यान भी देगी। वास्तविक स्थिति क्या है इस पर गौर से विचारा जाना चाहिए। पिछले सात वर्षों में जो हमारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में प्लानिंग रही, उसमें हमने औसतन कितने लोगों को काम दिया और कितने लोग बेरोजगार हुए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जैसे इंग्लैण्ड या कोई और देश 35 पौन्ड देते हैं मेरे कहने का उद्दोश्य यह है कि आपकी जो प्लानिंग है, उस पर भी विचार किया जाए। लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी रहती है लोगों की बेरोजगारी के आंकड़े बता देना और एम्पलायमेन्ट एक्सचैंज में कितने लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करा लिया। इस प्रकार की सूचना सरकार द्वारा इस सदन में दे दी जाती है। इसमें वास्तविकता यह है कि 1975 से 1981 तक 19.7 मिलियन से शुरू हुआ और 22.9 मिलियन तक पहुंच गए इससे पता चलता है कि आपने 0.5 मिलियन पर इधर के हिसाब से तरक्की की है। ये फिगर्स 700 मिलीयन आबादी के हिसाब से है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार 17.2 मिलियन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया और अगस्त-82 तक 19 मिलियन हो गए। 19 मिलियन वह लोग हैं जो जानते हैं* एम्लायमेन्ट एक्सचेंज में जा कर नाम लिखा लेना चाहिए। देहातों में रहने वाले लाखों लोग तो एंप्लामेन्ट एक्सचेंज किस चीज का नाम है जानते ही नहीं हैं, और इसलिए अपना नाम ही नहीं लिखा पाते। आज देश में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जिन्होंने एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज का दफ्तर ही नहीं देखा और नाम भी नहीं लिखाते हैं।

आज की हालत में जिन लोगों के नाम एम्प्लामेन्ट एक्सचेन्ज में लिखे हुए हैं उनमें से आधे तो ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट हैं। मैट्रिकुलेट लोगों की संख्या तो कम है। औसतन इनमें से कितनों को आपने नौकरी दी? इस पर आपने कभी विचार किया है? होता क्या है कि इनको जो काम दिलाने वाली योजनायें हैं उनमें कहीं न कहीं रुकावट सी है, वह नौकरी नहीं दे पा रही है। आवश्यक बात यह है कि आर्थिक पहलू पर जब विचार करें तो हमें काम दिलाने वाली योजनायें करनी चाहियें। कावेरी और गंगा वाली बात के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सैक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं उनमें कितने लोग काम करते हैं? 15 मिलियन लोगों को जो आपने नौकरी दे रखी है प्राइवेट सैक्टर में उनमें 1.8 मिलियन वह हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले प्राइवेट सैक्टर में हैं। करते क्या हैं। यह ठेकेदारों से काम कराते हैं। इसलिये कहीं नौकरी देने का सवाल ही नहीं उठता। आप देंगे क्या? इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम ही नहीं लिखा पाते हैं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो साल, दो साल के बाद फिर दोबारा अपना नाम देखने नहीं जाते हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि देश की सारी बेरोजगारी आप कितने सालों में खत्म कर देंगे? मेरा ख्याल है 100 वर्ष में भी नहीं खत्म कर सकते हैं। तो फिर राइट टू वर्क कहां से देंगे? नहीं दे पायेंगे। पापुलेशन जरूर कंट्रोल होनी चाहिये, इससे कोई इन्कार नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे यहां जो काम की योजनायें चलती रहती हैं, जैसे बेरोजगारों को भैंस दिला दी कभी आपने देखा है वह भैंस आते-आते दूध ही नहीं देती है और वह बेचारा बेरोजगार ही बना रहता है और नौकरी वाला मामला तो एक दम ही गड़बड़ है।

आप इंडस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो देश के उद्योग धंधों का भी आपको विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। हैवी इंडस्ट्री के बारे में आप कोई राय बना सकते हैं लेकिन आपको लघु उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस बात पर चौधरी चरण सिंह ने गांधीवादी आदर्श का समर्थन किया है और सरकार को कभी विरोधी लोगों की भी अच्छी बात मान लेनी चाहिये। महात्मा गांधी ने काटेज इंडस्ट्री के लिये कहा था कि जब तक इसको डेवेलप नहीं करेंगे तब तक हमारा काम

[श्री राजेश कुमार सिंह]

नहीं चलेगा । बड़ी फैक्ट्री में बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जिनमें साबुन भी बन रहा है । आप रेडियो, टी. वी. पर रोज एडवर्टाइज कर रहे हैं । अभी टिफेस पर चर्चा चल रही थी, एक्स-सर्विसमैन के रोसेटिलमेंट की बात करते हैं । यहां साबुन बनाना सिखा देते हैं । वह गांव में क्या बनायेंगे न उसको बेच पायेंगे । इसलिये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । इसलिये सोचने की बात यह है कि हमारी प्लानिंग सही माने में सही तरीके से होनी चाहिये । और राइट टू वर्क आप कभी भी नहीं दे पायेंगे । कोई और सरकार आयी तो वह विचार कर सकती है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय चन्दू लाल चन्द्राकर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अभी अनुपस्थित हैं

अध्यक्ष महोदय: कहो तो भेज दूं उनको?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: जी हां, भेजदें, जिन्होंने यह संकल्प रखा और कहा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये काम के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाय ।

आप जानते हैं कि श्री चन्द्राकर शासक दल के महामंत्री हैं और इनके प्रस्ताव का जोरदार ढंग से समर्थन भी इनकी पार्लियामैंटरी पार्टी के सैक्रेटरी श्री मूलचन्द डागा ने किया है । मैं जानता हूं कि यह पार्टी जनतंत्र में विश्वास करने वाली है इसलिये यह सरकार इसको अवश्य मानेगी ।

बेरोजगारी की समस्या आज देश में सुरसा की तरह मुंह बाये जा रही बढ़ती जा रही है रोज बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है । 1980 में आपको याद होगा, यह सरकार वायदा करके आई थी कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी । आज 3 बरस गुजर गये, समाधान की बात तो अलग रही, इनकी कोई प्लान या थिंकिंग भी नहीं है । जनता सरकार 5, 7 बरस की बात तो करती थी, लेकिन इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि संविधान में इसका प्रावधान होगा, मूलाधिकार में यदि इसे सम्मिलित किया जायेगा तो सरकार इस बात को सोचने के लिये बाध्य तो होगी कि बेरोजगारी की समस्या का कैसे समाधान किया जाये ?

जब इस मुल्क में अंग्रेज आये तो उन्होंने इस मुल्क में अंग्रेजी को इसलिये इन्ट्रोड्यूस किया कि उन्हें दफ्तरों के लिए क्लर्क चाहियें थे । लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हाथ से काम करना गुनाह समझने लगे । मैट्रिक तक पढ़ा हुआ भी हाथ से काम नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : वही हाल आजकल भी तो है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: 35 बरस गुजर गये, लेकिन आज तक कुछ भी इस मामले में नहीं हो पाया । जानबूझकर यह सरकार चाहती है कि बेरोजगारों की फौज बनती रहे ताकि वह हमारी तरफ देखते रहें और हम पर डिपैन्ड रहें ।

मैं आग्रह करूंगा कि शुरू से जो हमारी शिक्षा की नीति है, इसमें कम-से-कम आज कुछ परिवर्तन करें । आज 4 तरह की शिक्षा इस मुल्क में है ।एक बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा सैंट्रल स्कूल में पढ़ता है, तीसरा बच्चा म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में और चौथा बच्चा गांव के उस तरह के स्कूलों में पढ़ता है जहां कि छप्पर भी नहीं है ।

आप देखेंगे कि आज गरीब ही ज्यादा अन-एम्पलायड है, जिनका कोई सोर्स नहीं है । उनमें ऐसे लोग ही ज्यादा है जो गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं । एक तरफ पब्लिक स्कूल के पढ़े बच्चे होते हैं, उनके रहन-सहन का ढंग और सारी सुविधाएं होती हैं और दूसरी तरफ गांव के पढ़े बच्चे को आप कहते हैं कि कम्पीटीशन में आओ । एक तरफ मुलतानी घोड़ा और दूसरी तरफ देसी घोड़ा और फिर आप कहते हैं कि देखें कौन जीतेगा ?

यह सरकार जानबूझकर चाहती है कि गरीब तबके का लड़का जो है; उसको कभी मौका शासन में हिस्सा लेने के न मिले ताकि वह अपनी बेहतरी की बात कह सके ।

यह सरकार जान-बूझकर बेकारी की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, इसलिये कि दबे-कुचले लोग शासन में आयेंगे तो वह उसी वर्ग की बेहतरी की बात करेंगे जिससे वह आते हैं ।

शिक्षा में बेसिक एजूकेशन इन्होंने चलाई उसके बाद कहा कि यह ठीक नहीं है । इसके बाद इन्होंने एसेस्मेंट का तरीका अपनाया । कुछ देर बाद कहा कि यह भी ठीक नहीं है । फिर इन्होंने 10 प्लस 2 की थ्योरी चलाई । आखिर कोई एक नीति तो होनी चाहिये ।

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो पब्लिक स्कूल हैं, बराबर इस सदन में और सदन के बाहर भी मांग हुई है कि इनको खत्म करके एक सिद्धान्त करो ताकि गांव से लेकर शहर तक लोग एक तरह की पढ़ाई पढ़ें और कम्पीटीशन में आ सकें । लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करना चाहती ।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं, जिसमें छप्पर नहीं था । मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ा हूं, जिनका इन लोगों को कोई कनसेप्शन ही नहीं है । इनको पता ही नहीं है कि बिना छप्पर के स्कूल कैसे होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम पेड़ के नीचे पढ़े हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : हम तो आसमान के नीचे पढ़ कर आए हैं । हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे देश में बेरोजगारों की फौज पैदा न हो, बल्कि जो रोजगारोन्मुखी हो, लोगों को रोजी-रोटी कमाने लायक बना सके । अभी मुझे जी० डी० आर० जाने का मौका मिला था । वहां पर हमने इनफार्मली कहा कि हमारे यहां बड़ी बेरोजगारी है । उन्होंने कहा कि आपके यहां इतनी बड़ी-बड़ी प्राजेक्टस है, क्यों नहीं लोगों को उनमें लगाते । हमने कहा कि आप हमारी शिक्षा को समझ नहीं पाएंगे, हमारे यहां जो स्कूल में पढ़ा हो, वह हाथ से काम नहीं कर सकता और यही रोना है ।

शायद सरकार को मालूम नहीं है कि जितनी समस्याएं उसके सामने आने वाली हैं, उनकी जड़ में बेरोजगारी है । जिस अनुपात से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर वह उसी तरह बढ़ती गई, तो वह दिन दूर नहीं है, जब इस सरकार को फिर 1977 का मुंह देखना पड़ेगा । मैं उसको आगाह करना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, वह उसका समाधान करने के लिए कदम उठाए और हर घर में कम से कम एक आदमी को रोजगार अवश्य दे ।

18 तारीख को विरोधी दलों ने मुल्क के सारे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया था । हमने तीन मांगें रखी थीं : एक, पढ़े-लिखे नौजवानों और गांवों के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए और जब तक ऐसा नहीं हो सकता, तब तक उन्हें 150 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए ; दूसरे, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए, तीसरे, हरिजन-आदिवासियों के रिजर्व्ड क्वोटा को पूरा किया जाए । आपको जानकर हैरत होगी कि यद्यपि रिजर्व्ड कोटा 22 परसेंट है, लेकिन अधिकतर जगहों में केवल 5 परसेंट तक रिक्रूटमेंट हो पाई है । रेक्रूटमेंट करने वाले सरकारी अधिकारी कहते हैं कि इन वर्गों में उपयुक्त लोग उपलब्ध नहीं हैं । हमने इस बात पर जोर दिया है कि हरिजन आदिवासियों में ज्यादातर लड़के गांवों के ऐसे स्कूलों से पढ़ कर आते हैं, जहां छप्पर भी नहीं है । सरकार ने जो संवैधानिक प्रावधान किया है, उसके अनुसार वह कम से कम 22 परसेंट नौकरियां तो इन वर्गों को दें । अगर वह ऐसा नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि वह यह नहीं चाहती कि हरिजन-आदिवासी ऊपर उठें और 80 प्रतिशत होने के नाते उनके हाथ में शासन आए ।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

सत्तारूढ़ दल के एक महामंत्री जो संकल्प लाए हैं और दूसरे महामंत्री ने जिसे समर्थन दिया है, मैं जोरदार शब्दों में उसका समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उसे जरूर स्वीकार करें।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय,

भला क्या कर सकें इलाज मजे नातवानी का
पकड़ते हैं अगर बाजू यहां शाने उतरते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि काम करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर जी ने जो रेजोल्यूशन यहां पर पेश किया है मैं उसकी पूरी हिमायत करता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहां पर रखी है। आज जो बेरोजगारी की समस्या है, हमें उस पर सोचना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से सोचेंगे तो कोई न कोई हल निकल ही जायेगा। ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है कि जिसका हल तलाश न किया जा सके बशर्ते कि हम उस चीज को सीरियसली टेकअप करें

That without which we cannot live, must come unto us.

स्वामी विवकानन्द जी ने यह बात कही है कि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं वह चीज हमें जरूर मिलेगी। जिस चीज के बिना हम रह सकते हैं वह कहां मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए सीरियसली सोचना होगा।

आज हमारे यहां जनसंख्या पर पाबन्दी होनी चाहिए। दूसरे देशों में एक बच्चा भी ज्यादा पैदा नहीं होने देते हैं लेकिन यहां पर पता नहीं कितने पैदा होते जा रहे हैं। संजय गांधी ने इसको कुछ रोका था लेकिन लोगों ने उसको एक्सप्लायट कर लिया, कहा यह बुरी बात है लेकिन अब उसकी तारीफ कर रहे हैं।

इसी तरह से आज आप देखें कि भिक्षावृत्ति किस तरह से फैल रही है। भिखारी कपड़े तक फाड़ डालते हैं। आंध्र में चले जाइये या कहीं और वहां पर इतने मांगने वाले हैं जिनकी इन्तहा नहीं है। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है।

महात्मा गांधी पहले छोटी बातों को ही लेते थे।

"I should be ashamed of resting, and having a square meal as long as there is one able-bodied man or woman without work or food."

महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक मनुष्य भी बिना काम के और बिना रोटी के है तो किसी को भी आराम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आज उनकी बातों पर अमल किया जा रहा है? मैंने देखा है मंत्रियों के यहां कितने ही लोग खड़े रहते हैं। मैंने देखा 40-40 लोग बैठे हैं। मंत्री महोदय काम क्यों नहीं निपटाते हैं? जब मैं कार्यकर्ता था तो मेरे पास गांवों से लोग आते थे। यह 1947 की बात है। मैं सोचता था कि इन लोगों को तो काम करना है, ये यहां पर क्यों आयें। वे तहसीलदार के पास जाते थे तो वह लिख देता था कि मौके पर मिलो। मैंने कहा, लिखकर दे दिया है कि मौके पर देख लेंगे। इससे सब लोग भाग जायेंगे। नारा लगता है कि चौ० सुन्दर सिंह जिन्दाबाद। गांवों में जाकर कोई काम करना है, तो लोगों को यह समझना चाहिए कि यह हमारा काम है और इसको ठीक करना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों को अगर देखा जाए तो काम बहुत अच्छा हो सकता है

शिक्षा के संदर्भ में भी म कहना चाहता हूं। शिक्षा जो दी जा रही है बाबू पैदा करने के लिए दी जा रही है। लार्ड मैकाले ने इसको शुरू किया था, सफेद-पोश पैदा हों और कोई काम न करे। इसको क्यों नहीं बदला जा रहा है। इस को भी बदलना चाहिए। इसको जॉब-ओरिएन्टड बनाना चाहिए। लोग प

पढ़ लिखकर कुछ काम कर सकें । लेकिन बाबू कहता है कि हम काम क्यों करें, मेरे सफेद कपड़े हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि काम चाहे कोई भी हो, उसको करना चाहिए ।

हिन्दुस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है । गांवों में भूमि पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक लैंड रिफार्म नहीं हुआ है । इसका प्रबन्ध अभी तक क्यों नहीं किया गया ? उत्तर प्रदेश में बहुत भूमि पड़ी हुई है । वहां लोग काम नहीं करते हैं । बड़े-बड़े बदमाश चुनाव लड़ते हैं और खाली घूमते हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्या तमाशा है । थोड़ी सी भूमि पर भी काफी आदमी काम कर सकते हैं । मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या लैंड रिफार्म हुआ है ? इसके लिए अब तक कौन-सा इम्पलीमेंटेशन हुआ है ? इसके लिए आप किसको पकड़ेंगे ? डैमोक्रेसी है, आप किसी को नहीं पकड़ सकते हैं । इसके लिए यदि कहा जाता है, तो कहा जाता है कि यह मेरा विभाग नहीं है । इसलिए कोई सिलसिला चलने का नजर नहीं आता है। यह काम आपको करना चाहिए । यह बात सही है कि किसी भी नौजवान को कोई काम मिलता है, तो उसको करना चाहिए । स्वामी विवेकानन्द ने कहाहै —

> "To the grumbler all duties are distasteful. Nothing will ever satisfy him and his whole life is doomed to prove a failure. Let us work on, doing as we go, whatever it happens to be our duty and being ever ready to put our shoulders to the wheel. Then surely shall we see the light."

जो काम मिलता है, उसको करते जाना चाहिए। महात्मा गांधी की बात को मानना चाहिए । जो काम मिलता है, उसको करते जाना चाहिए । उनको कोशिश करनी चाहिए कि रोटी नहीं खानी चाहिए, जब तक काम नहीं करना है । कहते हैं कि बी० ए०, एम० ए० पास है । ठीक है, बी० ए०, एम० ए० पास हैं ।

> "As long as millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who having been educated at their expenses and pays not the least need to them" (*Swami Vivekanand*).

उत्तर प्रदेश की क्या हालत है । गांवों में बेशुमार भूमि पड़ी हुई है । यह जो रखी है, यू० पी० में वोट लेने के लिए रखी है । . . . (व्यवधान) . . . . पब्लिक स्कूलों की हालत को देखिए । एक आदमी कहता है कि पब्लिक स्कूल में दाखिला करायेंगे । मैंने कहा—तुम बड़े बेकार आदमी हो । पब्लिक स्कूल में पढ़ाकर मर जायेंगे । हम कोई पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं, हम गांवों में पढ़े हैं । हम में शक्ति है, हम लड़ सकते हैं । जो पब्लिक स्कलों में पढ़ते हैं, वे क्या करेंगे । हर आदमी चाहता है कि पब्लिक स्कूल में दाखिला मिल जाए । जो बात कही जाती है उस पर अमल होना चाहिये । इसलिये मैं कहता हूं कि यह जो पब्लिक स्कूल का सिलसिला है इसको बन्द करना चाहिये । लेकिन बन्द कौन करेगा ? सब जबानी कह देते हैं . . . .

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : चौधरी साहब ठीक कहते हैं ।कहते सब हैं कि बन्द कर दो, लेकिन करता कोई नहीं ।

श्री सुन्दर सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं अधिकार और कर्तव्य बराबर चलते हैं । दोनों को साथ ले कर चलना होगा । मैंने सरकार के कई काम देखे हैं । वे कह देते हैं कि हम ने यह करना है, वह करना है, मता पास कर देते हैं, लेकिन क्या उन का अमल होता है ? अगर अमल नहीं होता है तो फिर यह सब कहने का क्या मतलब है ? यह मता आप के लिये भी है सब के लिये है, मेरे लिये भी है, आप के लिये भी है, सरकार के लिये भी है, जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा ।

[श्री सुन्दर सिंह]

मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं–हिन्दुस्तान में अगर कोई कारखाना नहीं खोल सकता है तो फिर आप को लैंड-रिफार्म जरूर करना चाहिये । लेकिन कहते सब हैं, काम नहीं होता है । हम सोचते नहीं हैं कि हम कहां जा रहे हैं इस तरह कहने से कुछ बनने वाला नहीं है । हमारे पंजाब में जो लड़ाई हो रही है, इस का क्या मतलब है ? अगर उन को काम दे दें तो क्या वे अपना कारखाना छोड़ कर लड़ेंगे । इस बारे में मेरा मता था, लेकिन वह अस्वीकार हो गया, इस लिये उस पर बोल नहीं सका । आज हरिजनों को लें---ज्यादातर बेरोजगार उन-के अन्दर हैं, जब उन की ही समस्या का समाधान नहीं होता तो इन का क्या होगा । बेरोजगारी के मामले में हमारा एक आदर्श होना चाहिए कि कोई भी आदमी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उस को रोटी मुफ्त नहीं खानी चाहिये । मुफ्त रोटी खाना पाप है । कोई एम० ए० पास है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, तो जो भी काम उसे मिलता है वह उसे करना चाहिये । इस बात का इन्तजार नहीं करना चाहिये कि उसे उस की पढ़ाई के मुताबिक ही नौकरी मिले । फिर भी उसे काम नहीं मिलता है तो वह समाज का कुसूर है, मेरा कुसुर है । इस ढंग से आप सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि सारा काम ठीक हो जायेगा और बेरोजगारी दूर हो जायेगी ।

That without which we cannot live must come unto us.

आप इस तरह से देखें-जिस घर में तीन चार आदमी बेकार घूमते हैं और दो-तीन काम करते हैं तो वह घर कैसे चलेगा । इस लिये मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो दौर चल रहा है, वहां इतने आदमी बेरोजगार घूमते हैं इस को ठीक करो, वरना ये हमें ठीक कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब ऐसा कह दो---वट कढ़ छडेंगे । हुण बै जाओ ।

श्री सुन्दर सिंह : इस मत्ते की मैं अनुमोदन करता हूं ।

SHRI OSCAR FERNANDES: What about my name?

अध्यक्ष महोदय : अब टाइम खत्म हो गया है ।

There is no time now. It is 4.30 now; the time is over.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): मेरा नाम तो पिछली दफा से चल रहा है । मैं सिर्फ दो ही मिनट मांगता हूं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : 5 मिनट दे दीजिये । दो मिनट उन को और तीन मिनट इन को ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ढ़ाई-ढ़ाई मिनट दे दूंगा ।

*SHRI OSCAR FERNANDES (Udipi) I have got very important points to make. We will extend it by fifteen minutes.

Mr. Speaker, Sir, in our country the employment exchanges are engaged in registering the names of persons seeking employment. But with regard to providing jobs to these persons who have registered themselves in employment exchanges we have not achieved any progress. We have not taken any steps in this connection. In the banks if they want to recruit persons they give advertisements in the newspapers and lakhs of candidates apply for various posts. They will also take examination and finally about 100 or 200 persons would be selected. Similarly, many organisations

*The original speech was delivered in Kannada.

give their advertisements in newspapers and lakhs of people send their applications. They pay the examination fees. In this way unnecessarily lot of money is being spent. This system is in vogue for a long time. But if there are jobs in the public sectors or in the Government offices the selection should be made through employment exchanges only. This is my humble request to the hon. Minister through you Sir. I thank you for giving me this opportunity to speak on this resolution.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : यह बात कही जा चुकी है कि काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जाए । इसको मैं दोहराऊंगा नहीं ।

आज एक और सवाल है जो बहुत समय से चर्चा का विषय है कि राजनीतिक पार्टी ऊपर है या सरकार ऊपर है ? इस सदन में इस प्रस्ताव को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री चन्दूलाल चन्द्राकर द्वारा प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस आई संसदीय दल के महा मंत्री श्री मूलचन्द डागा द्वारा इसका समर्थन किया गया । इन लोगों ने अपनी पार्टी की अध्यक्ष जो इस समय प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे पूछकर ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया होगा । सारा सदन भी इस बात से एकमत है कि इसको मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए । अब देखना यह है कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर पार्टी को ऊपर रखते हैं या नहीं । उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी इस विषय पर कई बार बहस हो चुकी है कि पार्टी ऊंची है या सरकार ? अंत में पार्टी को ही ऊंचा माना गया है। दूसरा यह आपके विवेक पर भी आधारित है कि जैसा कि आप आमतौर पर कह देते हैं हाउस की कंसेसेस ले लीजिए । अभी आपने कहा कि अगर हाऊस की कंससेस है तो बोलने का समय दे दिया जाएगा । आज जब हाऊस की कंससस है, हाउस का यूनेनिमस ब्यू है, ऐसे वक्त में आप इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं । मैं समझता हूं कि आप भी वही निर्णय लेंगे जो पूरे हाउस की अब तक राय है । मंत्री जी सहमत हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता ।

इस सारी स्थिति को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि श्री चन्द्राकर जी इसको वापिस नहीं लेंगे और मंत्री जी इसको संविधान के मूल अधिकारों में शामिल कर लेंगे ।

आज हिन्दुस्तान के अंदर 10 करोड़ हाथ बेकार हैं । अगर ये हाथ काम में लगे हुए होते तो कितना उत्पादन बढ़ता । चीन की आबादी हमसे ज्यादा है । "ह्वांगहो" नदी को चीन का शोक कहा जाता था । यह सवाल हम लोगों से भूगोल के पर्चे में पूछा जाता था । उन्होंने ह्वांग-हो और यांग-सी-क्यांग नदियों को गहरा करवा दिया और किनारों पर वृक्ष लगवा दिए । इस प्रकार चीन ने अपने देश के लाखों गरीब आदमियों को रोजगार दिया । ह्वांग-हो चीन का शोक नहीं है बल्कि चीन का आनन्द कहलाती है । हम भी बहुत दिनों से कह रहे हैं और योजनाएं भी बनी हैं बाढ़ों को रोकने के लिए सूखे को दूर करने के लिए बिजली ज्यादा बढ़ाने के लिए, गंगा को सीधे कावेरी से मिलाने के लिए, जिसमें हमारे बहुत से बेकार लोग लग जायेंगे और काफी समय तक उनको काम मिलता रहेगा । इससे देश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा । इस योजना को मान लें तो बहुत अच्छा रहेगा । बढ़ती जन-सख्या के साथ-साथ बेकारी बढ़ती है और देश का बोझ भी बढ़ जाता है । मेरा सुझाव है कि कुटीर उद्योग बेकार लोगों को दिए जाए ।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

प्रत्येक गांव की उन्नति के लिए दो व्यक्ति स्थायी रूप से लगाए जाएं। आपने देखा होगा कि गांव के विकास हेतु लोकपाल, कामदार और वी० एल०डब्लू० होता है। लेकिन विकास कुछ नहीं हो पाता है। दस प्रकार के अफसर बना रखे हैं लेकिन एक भी आदमी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जब तक एक गांव की सर्वांगीण उन्नति के लिए एक या दो आदमी जिम्मेदार नहीं ठहराए जायेंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जो हमारे ग्रेजूएट्स हैं उनको कर्जा नहीं मिलता है। उनको इन्डस्ट्रियल लोन दिया जाना चाहिए। अगर हम यह सब कर देते तो हमको आइ०एम०एफ० से लोन नहीं लेना पड़ता।

मैं समझता हूं एक और नई परिपाटी चल पड़ी है। जब भी कोई योजना बनाई जाती है, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। हमको बेकार लोगों में से एक ऐसी फोर्स तैयार करनी चाहिए जो सेना के मुकाबले की हो और जहां कहीं गड़बड़ी पता चले वहां इनको लगा दिया जाए। आज बहुत से स्थानों पर केवल अहम भाव को पूरा करने के लिए हड़-तालें हो जाती हैं। इसलिए, एक ऐसा सैन्य बल बने जो जब भी हड़ताल करें, वहा जा कर काम करना शुरू कर दे। परमानेन्ट फोर्स इन्हीं बेकार लोगों में से बनायी जाए। आज कहा जाता है कि विद्यार्थी असामाजिक काम कर रहे हैं। उनके पास काम नहीं है इसलिए उनका दिमाग दूसरे कामों में लग जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि काम के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर है। यह देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के इजीनियर्स और डाक्टर्स भी बेकार हैं। लगभग 60 हजार रूपये सरकार एक इंजीनियर को बनाने में खर्च करती है, उसके मां-बाप का जो खर्च होता है, वह तो है ही। फिर भी आज हमारे देश में इंजीनियर बेकार हैं। पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने जो भी सख्या बताई है वास्तव में बेरोजगारों की संख्या उससे कहीं अधिक है। अभी कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व महामंत्री श्री सत्यनारायण राव जी ने एक बात कही है जो कि बहुत ही रिमार्केबल है। If there is a will, there is a way. If the Government is determined, the problem can be solved.

इससे साबित होता है कि सरकार के अन्दर दृढ़ता नहीं है। आज बढ़ती हुई बेरोजगारी देश के अन्दर हिंसा को भी बढ़ा रही है। तमिलनाडु की स्थिति यह है, मुझे माननीय दंडपाणि ने बताया कि जैसी स्थिति आज वहां है उससे तमाम लोग ऐसे कामों में लग रहे हैं, कुछ नक्सलाइट हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि काम करने का अधिकार लोगों को प्रदान किया जाए।

बेरोजगारी का भत्ता देने का सवाल कई बार सदन में आया, लेकिन सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बहुत सी राज्य सरकारें इस इस प्रकार का भत्ता देती हैं तो केन्द्र को देने में क्या अड़चन है, आप क्यों नहीं बेरोजगारी का भत्ता दे रहे हैं?

शिक्षा को जाब-आरियेन्टेड बनाने की बात की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 35 वर्ष के बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि क्षेत्रों का विकास करने के लिए वहां का औद्योगीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है।

सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के बारे में एक गारलैंड कैनाल स्कीम थी जिस पर जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार ने विचार भी किया। कैप्टेन दस्तूर ने उस योजना में बताया है कि इससे 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे एक तो बाढ़ पर नियंत्रण होगा, सिंचाई सुविधाए मिलेंगी जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजली का उत्पादन होगा जिससे औद्योगीकरण होगा और इन सारे कामों में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उस योजना के बारे में कुछ सोच रही है?

साथ ही जो मल्टी नेशनल को तमाम चीजें बनाने के लिए कह दिया जाता है, जैसे साबुन, टूथ पेस्ट आदि यह सब स्माल-स्केल सैक्टर में बनने चाहिए जिस से लोगों को रोजगार मिल सके। पौपुलेशन कट्रोल के बारे में सारा सदन एक मत है कि इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जनता में प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोग स्वतः इसका पालन कर सकें। सारे राजनैतिक दलों की एक समिति बना कर इस बारे में प्रचार करना चाहिए।

कृषि मजदूरों की समस्या के बारे में मेरा निवेदन है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसको तेजी के साथ चलाया जाय ताकि गांवों में बेरोजगारों को काम मिल सके। पहले जो खाद्यान्न योजना चलायी जा रही थी उस से गांवों में काम भी हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन इस समय यह योजना रुक गई है। इसलिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक आप काम करायें ताकि गांवों के अन्दर बेरोजगारों को काम करने का अधिकार मिल सके। और इस अधिकार को फडामेंटल राइट में शामिल करें जैसा कि यह प्रस्ताव है, इसका मैं समर्थन करता हू।

मुझे खेद है कि माननीय चन्दू लाल चन्द्राकर यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं बहुत दुखी होकर उनकी निन्दा तो नहीं करूंगा, लेकिन अपना दुख जरूर प्रकट करूंगा।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री चन्दू लाल चन्द्राकर जी ने संकल्प पेश किया है जिसमें देश में बोरोजगारी की समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाया गया है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संकल्प पर बहस में भाग लेने के लिये अपना बहुमूल्य समय दिया है। इस विषय पर अपने सुझाव देने के लिये मैं श्री चन्दू लाल चन्द्राकर तथा अन्य साथियों का आभारी हूं।

सदन के समक्ष संकल्प में यह सिफारिश की गई है कि कार्य के लिये अधिकार को संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाये।

चूंकि कार्य के लिये अधिकार को एक मूलाधिकार बनाने का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिये इस पर इस सदन में तथा

[श्री धर्मवीर]

बाहर विचार-विमर्श होता रहा है । जैसा कि इन अवसरों पर संकेत किया गया है, सरकार कार्य के लिये अधिकार को मूलाधिकार बनाने की मांग के पीछे छिपी हुई भावना की सराहना करती है, परन्तु यह महसूस करती है कि ऐसा कदम केवल तभी उठाया जा सकता है जब इसके लिये परिस्थितियां ठीक हों ।

(व्यवधान)

मान्यवर जो लोग रोजगार की मांग करते हैं, उन सब को खपाने के लिये बड़ी संख्या में.....

SHR M. SATYANARAYAN RAO: Mr. Speaker, Sir, I am very sorry, a very important Resolution is being discussed here. But there is no quorum in the House.

MR. SPEAKER: Let the bell be rung—

Now there is quorum. You may resume, Sir.

श्री धर्मवीर : मान्यवर मैं निवेदन कर रहा था कि जो लोग रोजगार की मांग करते हैं उन सब को खपाने के लिये बहुत बड़ी संख्या में उत्पादनकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना तत्काल व्यवहार्य नहीं है । वास्तव में जिन अत्यंत विकसित देशों में खुशहाली है, जिसका कई माननीय सदस्यों ने उदाहरण भी दिया है, वहां पर भी संघर्षशील बेरोजगारी से बचना संभव नहीं हो पाया, इस पर हमारे देश में अमल करना व्यवहारिक नहीं है। हमारे जैसे विकसित देशों में तो ऐसा करना बहुत कठिन है, जहां बेरोजगारी का स्वरूप स्थानिक है।

कार्य करने के मल अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने से अनुच्छेद 32 तथा 226 के अधीन केवल अनेक याचिकायें उत्पन्न होगी । यदि इनका पालन किया जाये तो प्रत्येक चाहने वाले व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। काम मांगने वाले सभी व्यक्तियों को जो कुछ काम उत्पादक हो या न हो, देने की लागत अत्याधिक होगी। 4 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी स्तर तथा कुछ रूढ़िवादी मान्यताओं के आधार पर निर्माण कार्यक्रम की लागत एक बहुत संतुलित राशि 3500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप जो निर्माण योजनायें बनायी जायेंगी; उनके कारण मुद्रा-स्फीति संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होगी । सरकार महसूस करती है कि इतनी बड़ी मात्रा में संसाधनों को गैर-उत्पादक कार्य सृजित करने वाली योजनाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने पर नष्ट करने की बजाये इनको उपयोग उत्पादक तथा स्थायी रोजगार अवसर का सृजित करने वाली योजनाओं पर किया जाना चाहिये । इस उद्देश्य के लिये उन उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाएं आरम्भ की गई हैं ।

छठी योजना में विशेषत: लगभग 34 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार सृजित होने की आशा है । छठी योजना अवधि के दौरान रोजगार सृजन की दर प्रतिवर्ष 4.17 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है जो श्रम-बल की वृद्धि दर से पर्याप्त उच्चतर होगी जो उसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत होगी । यदि छठी योजना अवधि के दौरान सृजित होने वाले रोजगार अवसर पूर्णकालिक आधार पर हों, तो छठी योजना में रोजगार सृजन से लगभग 34 मिलियन की संपूर्ण वृद्धि को रोजगार प्राप्त हो जाएगा ।

योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि-कर उच्चतर है, जबकि परियोजना में परिकल्पित दर 5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। 1982–83 में वृद्धि-दर लगभग केवल 2 प्रतिशत होने की संभावना है, क्योंकि खरीफ उत्पादन में गिरावट तथा औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि में कुछ कमी आई है। फिर भी योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अर्थ-व्यवस्था की औसतन वार्षिक वृद्धि-दर लगभग 5 प्रतिशत निकाली जाएगी, जो कि लगभग वही है, जैसे योजना में दर की परिकल्पना की गई है। अतः रोजगार अवसरों की वृद्धि वैसी ही रही होगी जैसी कि छटी योजना में परिकल्पना की गई है। यद्यपि योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में रोजगार सृजन की प्रगति से सम्बंधित व्यापक सूचना अवधि नहीं है तथापि कुछ आशाप्रद प्रगति दर्शाने वाले कार्यक्रमों तथा क्षेत्रों के संबंध में सूचना उपलब्ध है। उदाहरण के लिए 1980–82 की अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 56 लाख परिवारों को लाया गया है, जबकि योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 1.5 करोड़ परिवार है। स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम दो वर्षों में लगभग 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग 1.28 लाँख व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों में बसने के काबिल बनाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित करना था वर्ष 1980–81 के दौरान 42.08 करोड़ श्रम दिवस रोजगार तथा 1981–82 के दौरान 38.49 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किए।

जिला उद्योग केन्द्रों ने, जिन्हें पुर्नगठित किया जा रहा है, ताकि उनके पास स्थानीय उपलब्ध स्रोतों के बारे में परियोजना तैयार करने तथा परामर्श देने में आवश्यक दक्षता हो सके, 1980–82 की अवधि के दौरान अनुमानित 21 लाख रोजगार अवसर सृजित किए हैं।

अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 1980–81 के दौरान 2.5 प्रतिशत की वृद्धि और 1981–82 के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई। रोजगार स्थिति पर योजना कार्यक्रमों के पूरे प्रभाव के बारे में माननीय सदस्यों का ध्यान रोजगार कार्यालय के आंकड़ों द्वारा दिखाई गई प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित किया जाता है। रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या जबकि निःसंदेह बढ़ रही है, कार्य चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की वार्षिक दर ने हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई है। छटी योजना के प्रथम वर्ष में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की दर 1982 के दौरान केवल 10.7 प्रतिशत थी।

17.00 hrs.

योजना प्रयासों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सृजित किए जा रहे वेतन-भोगी या मजदूरी प्रदत्त नौकरियां जबकि बढ़ रही हैं छटी पंच-वर्षीय योजना में नोट किया है कि हाल के वर्षों में प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि हमारे श्रमिक बल में वृद्धि का केवल लगभग 12 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में खपाया जाएगा। अतः श्रमिक बल के शेष सदस्यों को अनौपचारिक या स्वरोजगार के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना होगा। दुर्भाग्यवश, हमारे देश के युवकों में सरकारी या संगठित क्षेत्र की नौकरी के पीछे भागने की प्रवृत्ति है।

[श्री धर्मवीर]

इस प्रकार की नौकरियां सीमित हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार के लिए "न्यू डील" की परिकल्पना की गई है और स्वरोजगार की प्रोन्नति के लिए निर्धारित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि बरोजगारी और गरीबी के प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी सुनिश्चित की जा सके। यह नीति उपायों का एक पैकेज है जिसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के ग्रुपों, चाहे वह महिलायें हों या पुरुष के स्वरोजगार की प्रोन्नति के लिए मार्ग-दर्शन ऋण सुविधाए, प्रशिक्षण विपणन और अन्य उपाय शामिल हैं। मुझे आशा है कि हमारे देश के युवा वर्ग इन सुविधाओं का लाभ उठायेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने "एक परिवार में एक ही नौकरी" का सुझाव रखा ह। "एक परिवार में एक ही नौकरी" की योजना प्रारम्भ करने के प्रश्न पर छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय कार्यक्रम व्यवहार्य नहीं होगा। अतः छठी योजया में जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन के लिए विकेन्द्रीकृत नीति अपनाने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य के लिए देश के अधिकतर जिलों में जिला जनशक्ति आयोजन और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित की गई हैं। परिषदों को जिला रोजगार योजनाऐं तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ताकि वेतनभोगी और मजदूरीभोगी रोजगार तथा स्वरोजगार में श्रमिकों के फालतू तथा बेकार समय के पूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

8. बहस के दौरान कई सदस्यों द्वारा यह कहा गया था कि कई समाजवादी तथा गैर-समाजवादी देशों में "कार्य के लिए अधिकार" की गारण्टी दी गई है। निस्संदेह समाजवादी देशों में, "कार्य के लिए अधिकार" को अनेक देशों के संविधानों में शामिल किया गया है परन्तु देखना यह है कि क्या ऐसा अधिकार वादयोग्य अधिकार है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कार्य के लिए अधिकार समाजवादी देशों में शायद रोमानिया तथा पोलैण्ड को छोड़ कर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

जैसा कि मेरे मित्र सत्यनारायण राव जी ने कहा है कि वहां किस प्रकार से युवकों को रोजगार में लगाने के लिए जबर्दस्ती आदेश जारी किए गए हैं जोकि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में सम्भव नहीं है।

इस बात को याद रखना भी आवश्यक हैं कि समाजवादी देशों में राष्ट्र के सम्पूर्ण संसाधन राज्य में ही निहित होते है और आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र का राज्य द्वारा सख्ती से नियन्त्रण किया जाता है। कुछ गैर-समाजवादी देशों में भी कार्य के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है लेकिन यह सभी देश विकिसित देश हैं, जिनके पास अपने श्रमिक बल में सामान्य वृद्धियों के अनरूप पर्याप्त कार्य का सृजन करने हेतु या बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बहुत संसाधन प्राप्त है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अभी आपने यह बात कही है कि अगर राइट टू वर्क दे दिया जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है लेकिन दूसरे देशों में ऐसा कराया जाता है।

श्री धर्मवीर : मैंने यह नहीं कहा है। मुझे आशा है माननीय सदस्य मुझे ध्यान से सुनने की कृपा करेंगे।

भारत न तो समाजवादी देशों की तरह एकदलीय देश है और न ही इसके पास विकसित पूंजीवादी देशों के समान असीमित वित्तीय संसाधन है । अतः आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर पर कार्य के लिए अधिकार को एक मूल अधिकार बनाना व्यवहार्य नहीं होगा ।

9. बहस के दौरान ये मांगें की गई हैं कि सरकार को बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए । अनेक अवसरों पर सरकार ने इस सदन में यह बताया है कि इस तरह के प्रस्ताव के लिए अपेक्षित बहुत बड़ी धनराशि एवं आवश्यक साधनों का उपयोग विकास के लिए, विशेषकर अर्थ-व्यवस्था के विकास के वर्तमान दर को तेज करने के लिए किया जाना चाहिए ।

जैसा कि यहां पर हरिकेश जी ने बताया कि कई राज्यों में रोजगार भत्ता देने की योजना को लागू किया गया है लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जसी कि मेरे पास जानकारी है, कर्नाटक राज्य इस मामले पर पुनः विचार कर रहा है । इस प्रकार से जो उनको भत्ता दिया जाता है, वह किसी प्रकार से लाभप्रद नहीं होता है । इस साधन को यदि हम उत्पादक कार्यों में लगा दें, तो उससे लाभ होगा । इसलिए बेरोजगारी भत्ता देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें काफी साधनों की आवश्यकता पड़ती है । छात्रवृत्ति रोजगार योजना को 1978 से चालू करने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 1981 से नई भर्ती बन्द कर दी है क्योंकि योजना के अधीन कार्य कर रहे उम्मीदवार सरकारी सेवा में स्थायी खपत की मांग कर रहे थे और बजट पर भी दबाव पड़ रहा था। जबकि सरकार देश में बेरोजगार व्यक्तियों को कुछ लाभप्रद कार्य देने के लिए सभी उपाय कर रही है। इस बात का उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि बेरोजगारी की वृद्धि दर श्रमिक बल की वृद्धि दर और रोजगार अवसरों में विशुद्ध वृद्धि पर निर्भर करती है। श्रमिक बल की वृद्धि दर देश में जनसंख्या की वृद्धि दर पर निर्भर करती है । जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस बात पर सहमति प्रकट की है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर जब तक व्यावहारिक तरीके से नियंत्रण नहीं प्राप्त किया जाएगा तब तक बेरोजगारी पर नियंत्रण प्राप्त करना मुश्किल होगा । दूसरे यह कि जैसा राव साहब और चौ० सुन्दर सिंह जी ने कहा है कि एक बार सरकार में इस बारे में ध्यान दिया गया है । बड़ी कड़ाई से पालन करने का नतीजा यह हुआ कि हम उधर चले गए और आप इधर आ गए । दोबारा ऐसा मौका दिया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे राजनीतिक मुद्दा न बनाकर आपको इसमें सहयोग देना चाहिए । जैसा कि श्री हरिकेश जी ने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जनमानस तैयार करना चाहिए।

समय आ गया है कि ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार किया जाए कि बेरोजगारी को हल करना जनसंख्या में वृद्धि की दर में पर्याप्त कमी द्वारा ही संभव हो सकता है । इससे यथासमय उत्पादकता और आय के उत्तरोत्तर उच्चतर स्तरों पर योजना बद्ध विकास की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों और श्रमिकों बलों में शुद्ध वृद्धि के बीच संतुलन लाया जा सकेगा । माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को बहुत महत्व दे रही है, परन्तु सदन के सभी वर्गों और वस्तुतः सम्पूर्ण राष्ट्र के हार्दिक समर्थन के बिना यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः समय का तकाजा है कि इस लक्ष्य को

[श्री धर्म वीर]

प्राप्त करने के लिए हम मिलकर समर्पण की भावना से लगातार प्रयास करें ।

एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि हम खेतों तथा फैक्ट्रियों में कार्यालयों में और सेवा सैक्टरों में अनुशासनयुक्त तथा समर्पित कार्य द्वारा वर्तमान उत्पादनकारी उपकरणों का पूरा-पूरा उपयोग करें । पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी । हम यह काम नहीं कर सकते यदि हम समाज में संघर्ष तथा विनाश के स्थान पर विचार-विमर्श तथा संसाधन के सभ्य तरीके से झगड़े नहीं निपटाते, चाहे वे समाजिक हों, राजनीतिक हों या अन्य प्रकार के हों ।

श्रीमन्, इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी ने एम्पलायमेंट एक्सचेंज में गड़बड़ियों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पारीके से राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जो डायरेक्टर निदेशक हैं, उनको निर्देश दिए हैं, जिसके माध्यम से, जो आम दिक्कतें लोगों के समाने पैदा होती है, वे समाप्त हों । जो भ्रष्टाचार और दिक्कतें हैं, उन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके । इन सब की डिटेल में बता सकता हूं कि किस प्रकार के निर्देश हमने राज्य सरकारों को दिए हैं ।

जहां तक हमारे माननीय सदस्यों ने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही है, यह शिक्षा मंत्रालय का विषय है । यह एक ऐसा राष्ट्रीय विषय है, इसलिए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं । क्योंकि प्रारम्भिक काल से आज तक हर एक स्तर पर इसकी चर्चा होती है कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए । कैसा परिवर्तन हो, अभी इस बारे में जनमानस तैयार नहीं हो पाया है । किस प्रकार का हो, अभी इसके बारे में भी जनमानस तैयार नहीं हो पाया है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जॉब-ओरिएन्टेड होना चाहिए । इस संबध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आई. टी. आई. से प्रशिक्षण प्राप्त बेकार हैं । आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें ।

मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं । मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, वे मेरी बातों को शान्ति-पूर्वक ध्यान से सुन रहे हैं । मैं उन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए जो हमारे एन० आर० ई० पी० और आइ० आर० डी० पी० के कार्यक्रम चल रहे हैं, उस में सम्मानित सदस्य हमारे साथ सहयोग करें, क्योंकि इसी भावना से प्रेरित हो कर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम में इस को विशेष महत्व दिया है .....

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : आप क्या सहयोग चाहते हैं ?

श्री धर्मवीर : फसल के अतिरिक्त समय में उन को काम देने के लिए जो हमारे सड़कों के कार्यक्रम चल रहे हैं, वह काम ठीक से हो सके । इस योजना के अर्न्तगत लोगों को काम मिले, इस दृष्टि से आप ब्लाक स्तर पर सहयोग करें, तभी बेरोजगारी दूर हो सकती है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन काम आप के अफसर करते हैं ।

श्री धर्मवीर : दूसरा सहयोग हम यह चाहते हैं कि बहुत से युवक जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, उन के अन्दर जो हमारी सेल्फ एम्पलायमेंट की स्कीमें हैं उन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है। उन से कहा जाय कि वे स्वयं कुछ काम-धन्धा शुरू करें, बैंकों के द्वारा ऋण ले कर वे अपने काम को शुरू कर सकते हैं . . . (**व्यवधान**) . . . मैं आप से सहयोग की मांग करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं—आज एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में ऐसे बहुत से नाम दर्ज हैं जो आलरेडी नौकरी में लगे हुए हैं लेकिन बैटर जाब के लिये वहां नाम लिखाये हुये हैं। एक फैमिली में कम से कम एक आदमी को रोजगार मिले, इस प्रकार की तमाम कठिनाइयां हमारे सामने हैं। इस लिये एक स्वस्थ वातावरण के लिए मैं आप का सहयोग चाहता हूं। दूसरे जो हमारी सेल्फ एम्पलायमेंट की योजनाऐं हैं उन की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिये।

आप ने भी अपने भाषणों में छोटे-छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान दिलाया है। लेकिन मैं एक बात आप से पूछता हूं—हमारे गांवों में जो आर्टीजन हैं, उन के बनाये हुये माल को कौन स्वीकार करता है? फैक्ट्रीज में जो नफीस चीजें बनती हैं उन की तरफ ध्यान दिया जाता है। मोटा कपड़ा, हाथ के बने हुए जूते, लकड़ी की अलमारियां, मेज, कुर्सी को लोग स्वीकार नहीं करते। हमें इन वस्तुओं के लिये उपयुक्त मार्केटिंग की व्यवस्था करनी है। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो उन के मन में भी रोजगार की भावना पैदा हो सकेगी।

आप इस बात की सराहना करेंगे कि सरकार देश में व्याप्त बेरोजगारी की गम्भीरता से पहले ही पूरी तरह से अवगत है तथा बेरोजगारी को दूर करने तथा गरीबी को हटाने के लिये सभी सम्भव उपाय हम कर रहे हैं। आप सभी की भावनाओं की कद्र करते हुए हमारा प्रयास इस देश में बेरोजगारी को दूर करना रहेगा। हमारा सदैव यह प्रयास रहेगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहे, देश का उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार के अवसर मिलें। अतः इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker. I find, shri chandulal chandrakar, the mover of the Resolution..... (*Interruptions*)

Shri R. P. Yadav: The House is unanimous that this Resolution should be accepted. (*Interruptions*)

श्री रामविलास पासवान : सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

मंत्री महोदय ने दो बातें कही हैं। एक तो इन्होंने सेल्फ-एम्प्लायमेंट का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय जानते हैं, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार से आये हैं, शेड्यूल्ड कास्ट परिवार से आये हैं, दूसरों की बात छोड़ दीजिये। जो हुनर का काम आज शेड्यूल्ड कास्ट के लोग गांवों में करते हैं, जैसे चमड़े का काम या दूसरे काम, क्या सरकार की तरफ से उसके एम्प्लायमेंट के लिये धनराशि मिल जाती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है? आप इस बात को क्लेरिफाई कीजिये।

दूसरी बात—आपने सोशलिस्ट कन्ट्रीज का जिक्र किया है। हमारे यहां जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है। चाइनीज कांस्टीट्यूशन में 1975 में "राइट-टु-वर्क" जोड़ा गया। जब चाइना में राइट-टु-वर्क जोड़ा जा सकता है तो हमारे देश में क्या दिक्कत है?

Shri Satyasadhan Chakraborty : (Calcutta South) only one point. The Hon. Minister has said that under the given circumstances all the people who seek jobs cannot be offered jobs. That is what the Hon. Minister has said and to substantiate it the Hon. Minister said "My country is not a developed country and neither it is a socialist country" that is what the Hon. Minister said. Now, for a man to live, either he must have some asset or employment or assistance. Otherwise, he starves. Now the question is, if a man in India has no employment, no asset and no assistance, how can he survive? what you have said you will have to clarify.–What will happen to those persons and whether Government feels any responsibility.

Shri R. P. Yadav : Does the House feel unanimous that this resolution should be accepted? No..... speaker has opposed that. Will the Hon. Minister accept it?

श्री हरिकेश बहादुर : डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि हर आदमी को इस प्रकार के अधिकार हैं। इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी के तमाम अंशों को फन्डामेंटल राइट्स में मिला दिया जाए। इससे तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा करने से आपको कौन रोकता है।

Shri Amal Datta (Diamond Harbour) : The Hon. Minister has said that this is not a socialist country. This is directly against our Constitution. The Constitution itself says that our country is Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. How can the Hon. minister say that we are not a Socialist country?

श्री धर्मवीर : माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने वक्तव्य में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख चुका हूं। जहां तक श्री पासवान जी ने हरिजनों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है, वे स्वयं जानते हैं कि अभी हमारी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। अभी हमारी विचारधारा में वह परिवर्तन नहीं आया है। उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिएं वे नहीं मिल पा रही हैं। हम सब उसी वर्ग से संबंधित हैं। कठिनाइयों के बावजूद हम प्रयास करते हैं कि इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम और कंपोनेंट प्लान के जरिए हरिजनों को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का हम पूरा प्रयास करते हैं।

चक्रवर्ती जी को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि हम सोशलिस्ट जरूर हैं परन्तु एकदलीय सोशलिस्ट नहीं हैं। हम समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करते हैं और उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं हरिजनों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हैं। समाजवादी सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के आधार पर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का सवाल है तो जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार हम जितनी व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं। हम ऊंची-ऊंची बातें करके सदन को गुमराह नहीं करना चाहते। वोट कैचिंग का हमारा दृष्टिकोण कभी नहीं रहा।

Shri Satyasadhan Chakraborty : This is important because I want to know the Government policy. I have said that if a man has no asset, no employment, and no assistance, he is compelled to starve. What is the Government going to do to save such a man?

श्री धर्मवीर : मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एन०आर०ई० पी० चलाया गया है।

श्री हरिकेश बहादुर : कहां है यह प्रोग्राम ?

श्री धमबीर : अब आप मानने को तैयार नहीं हैं तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिनके पास साधन नहीं हैं वे जिलाधिकारी के पास आते हैं । उनको रोड कंस्ट्रक्शन या हरिजन हैं तो उनके अनुसार उनको काम दिया जाता है । उपलब्ध साधनों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I find that Shri Chandu Lal Chandrakar, the mover of the resolution, is not present in the House. So, he will no be able to..

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why cant you listen to me ? I have listened to you for so many hours. So, he will not be able to exercise.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : On a point of order Why is the Mover of the Resolution not present in the House?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am only coming to that point, please sit down.

so, he will not be able to exercise his right of reply. The debate has concluded. If the House agrees, I shall now put all the House, all the Amendments moved to the House, all the Amendments moved to the Resolution.

All the Amendments were put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the Resolution to the vote of the House.

The question is :

"With a view to solving the unemployment problem, this House recommends to the Government to take steps to include 'Right to Work' in the Constitution as a Fundamental Right."

Those in favour will please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: The 'Aye'

MR. DEPUTY-SPEAKER : Those against will please say 'No'.

SEVERAL HON. MEMBERS : 'No'.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think the 'Noes' have it, the 'noes' have it....

SOME HON. MEMBERS: The 'Ayes' have it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you really pressing for division ? This is a Private Member's Resolution. Generally it is not pressed.

AN HON. MEMBER : It is left to the Members' discretion, not to yours.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : We want the record as to who are the Congress Members who are opposing the right to employment as is mentioned in this Resolution. Let it go on record.

SOME HON. MEMBERS : We want that to go on record.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: The Right to Work should be incorporated in the Constitution as a basic right.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the lobbies be cleared.

Now the lobbies have been cleared. The question is:

"With a view to solving the unemployment problem, this House recommends to the Government to take steps to include 'Right to Work' in the Constitution as a Fundamental Right."

The Lok Sabha divided :

AYES

Ashfaq Hussain, Shri
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Choudhury, Shri Saifuddin
Datta, Shri Amal
Dhandapani, Shri C.T.
Halder, Shri Krishna Chandra
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Maitra, Shri Sunil
Masudal Hossain, Shri Syed
Mukherjee, Shri Samar
Parulekar, Shri Bapusaheb
Paswan, Shri Ram Vilas
Rajan, Shri K. A.
Riyan, Shri Baju Ban
Roy, Shri A. K.
Sinha, Shri Nirmal
Tirkey, Shri Pius
Verma, Shri R.L.P.
Yadav, Shri R. P.

NOES

Baitha, Shri D. L.
Bansi Lal, Shri
Bhole, Shri R. R.
Birbal, Shri
Buta Singh, Shri
Chaudhary, Shri Manphool Singh
Daga, Shri Mool Chand
Das, Shri A. C.
Dennis, Shri N.
Fernandes, Shri Oscar
Gomango, Shri Girdhar
Jadeja, Shri Daulatsinhji
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Virdhi Chander
Mallikarjun, Shri
Nahata, Shri B. R.
Namgyal, Shri P.
Panika, Shri Ram Pyare
Patel, Shri Shantubhai
Potdukhe, Shri Shantaram
Ranga, Prof. N. G.
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rathod, Shri Uttam
Sahi, Shrimati Krishna
Sethi, Shri P. C.
Sharma, Shri Chiranji Lal
Tewary, Prof. K. K.
Thungon, Shri P. K.
Varma, Shri Jai Ram
Venkataraman, Shri R.
Vyas, Shri Girdhari Lal
Yadav, Shri Ram Singh

AN HON. MEMBER : I think there is no quorum.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Quorum is there. Subject to correction, the result* of the Division is: Ayes 20, Noes 32. The motion is negatived.

The motion was negatived.

*The following Members also recorded their votes for NOES : Sarvashri R. L. Bhatia and Skariah Thomas.